HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Petition No. 3156/2020

Smt. Kiran W/o Shri Suraj Pratap Singh, R/o Pushpa Vihar, Madangiri, Sabji Mandi, Delhi, At Present R/o 31/433, Pratap Nagar, Jaipur,raj.

----Accused/Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

--Respondent

आदेश दिनांकः 31.07.2020

माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा

श्री राजेश गढवाल, अधिवक्ता– याची–अभियुक्ता की ओर से।
श्री अतुल शर्मा, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

याची–अभियुक्ता की ओर से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यह याचिका विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–3, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 953/06(1426/06) उनवानी सरकार बनाम श्रीमती किरण में पारित आदेश दिनांक 21.07.2020 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके द्वारा याची–अभियुक्ता की ओर से गिरफ्तारी वारण्ट को जमानती वारण्ट में परिवर्तित करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 70(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर दिया गया है।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता याची की दलीलें है कि वे आलोच्य आदेश को गुणावगुण पर चुनौती नहीं देते हैं। याची स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पण कर नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है अतः

उसके द्वारा समर्पण करने की तिथि तक उसके विरूद्ध प्रकरण में जारी गिरफ्तारी वारण्ट पर रोक लगाते हुए विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि वह याची–अभियुक्ता के जमानत आवेदन को उसी दिन निस्तारित करें।

विद्वान लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए याचिका अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

याची–अभियुक्ता विचारण के दौरान फरार हुई है। अतः उसके विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारण्ट को जमानती वारण्ट में परिवर्तित किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। फिर भी याची की सीमित प्रार्थना की रोशनी में यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याची–अभियुक्ता के दिनांक 18.08.2020 तक विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पण करने की शर्त पर उसके विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारण्ट की क्रियान्विति स्थगित रहेगी। यदि याची उक्त दिवस तक विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पण नहीं करती है तो प्रश्नगत गिरफ्तारी वारण्ट से तलबी का आदेश स्वतः ही प्रभावी होगा।

याची–अभियुक्ता द्वारा उपरोक्त तिथि तक समर्पण करते हुए नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन का निस्तारण विधि–अनुसार किया जाएगा।

(सतीश कुमार शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल / 202